न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2022

प्रार्थीगण :—

1. भोमाराम पुत्र श्री छगनाराम
2. हेमाराम पुत्र श्री छगनाराम

जातियान माली, निवासीगण ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट,
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक** :— 6/9/2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जे.बी. की राजस्व सीमा में प्रार्थी की गै.मु. बेरा व गै.मु. बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 2469/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्मं गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 5437/2463 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बावडी आयी हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 814 पर प्रार्थीगण खातेदार के काबिज है। खसरा नम्बर 2469/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. बेरा तथा खसरा नम्बर 5437/2463 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. बावड़ी, प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसकी राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम की हुई नही है इस बाबत् प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से उक्त खसरान के राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम हेतु निवेदन किया है उक्त गै.मु. बावड़ी व गै.मु. बेरा पूर्वजों के समय से कायम है लेकिन राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम नही होने से प्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध लेने आदि में भयंकर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज भूमि की राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम करावे इस पर अप्रार्थी ने कहा कि उक्त खसरान की

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तरमीम श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश करना पड़ रहा है। उक्त खसरान प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है लेकिन राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम नही है जो तरमीम दुरूस्त फरमायी जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि का राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम करवाना चाहते है इसलिए उक्त खसरान का नाप चौप कर रकबा अनुसार तरमीम करवायी जाने का आदेश फरमावे। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर 2469/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 5437/2463 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बावड़ी राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जे.बी. की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 2469/1 व 5437/2463 वक्त मिसल बंदोबस्त से ही मूल खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरान का ग्राम भावी जे.बी. के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज नही है। ग्राम भावी जे.बी. के उपरोक्त खसरान का मूल नक्शा शीट में भी इन्द्राज नही है। खसरा नम्बर 2469/1 व 5437/2463 राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त खसरान मूल खसरा नम्बर हो से तरमीम की श्रेणी में न आकर इस खसरान का कब्जे अनुसार राजस्व लट्ठा ट्रेस में अंकन किया जाना उचित रहेगा। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उसके खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2469/1 व 5437/2463 का राजस्व ट्रेस नक्शा में तरमीम की जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि ग्राम भावी जे.बी. की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2469/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु बेरा व खसरा नम्बर 5437/2463 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बावड़ी.प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिनका इन्द्राज राजस्व नक्शा ट्रेस में नही किया हुआ है। उपरोक्त खसरान की भूमि वक्त बंदोबस्त से ही मूल खसरान की भूमि रही है, जिनकी तरमीम राजस्व लठ्ठा ट्रेस में अंकन नही है, इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि का कब्जेनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम भावी जे.बी. की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2469/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु बेरा व खसरा नम्बर 5437/2463 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बावड़ी जो प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसका प्रार्थीगण के कब्जेनुसार तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में कर उसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 6/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा